JIC-Estb/ORSC/2/2025-Soochna Aayog-SOOCHANA AAYOG DEPT

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न0– 0135–2662021, फैक्स न0– 0135–2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: https://uic.uk.gov.in

पत्रांक 1060 / उ0सू0अ0 / 2025–26 दिनांक 26-09, 2025

सेवा में,

आयुक्त,
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
रिंग रोड, देहरादून।

विषय :– तहसील स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुपालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत होंगे कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2025 को जनपद स्तरों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद से राजस्व विभाग के दो–दो अधिकारियों को "मास्टर ट्रेनर्स" का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ जनपदों में तहसील स्तर की सूचनाओं हेतु मुख्य प्रशासिनक अधिकारी अथवा नायब तहसीलदार तथा लेखपाल/पटवारी (सर्किल) स्तर की सूचनाओं हेतु राजस्व उप निरीक्षकों को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है। जबकि कुछ जनपदों में तहसील और लेखपाल/पटवारी (सर्किल) दोनों स्तर की सूचना प्रदान किये जाने हेतु तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अथवा नायब तहसीलदार को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है। तहसील और सर्किल स्तर की सूचनाओं हेतु एक ही लोक सूचना अधिकारी नामित करने के कारण तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अथवा नायब तहसीलदार के द्वारा राजस्व उप निरीक्षकों से संबंधित सूचना धारा 5(4) के तहत प्राप्त कर अनुरोधकर्ता को प्रदान की जाती है, जिसमें अधिक समय भी लगता है।

राजस्व विभाग में नामित लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों में एकरूपता बनी रहे और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन भी किया जा सके, इस हेतु उचित होगा कि

1. सर्किल से संबंधित सूचनाओं के लिए राजस्व उप निरीक्षक को लोक सूचना अधिकारी और राजस्व निरीक्षक को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाए।
2. तहसील स्तर की सूचनाओं हेतु नामित लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी पूर्ववत बनाए रखे जाएं।
3. इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था बनाई जाए जहॉ नागरिक लेखपाल/पटवारी (सर्किल) स्तर से संबंधित अपने अनुरोध पत्र/प्रथम अपील के पत्र जमा करा सकें।

कार्यक्रम के दौरान यह तथ्य भी संज्ञान में आया कि राजस्व उप निरीक्षकों को सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित पत्राचार हेतु डाक टिकट या इस हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं

की जाती है। तहसील स्तर पर छायाप्रति की सुविधा भी राजस्व उप निरीक्षक को उपलब्ध नहीं है। इस कारण डाक टिकट और छायाप्रति अपने खर्चे से व्यय करना पड़ता है। राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक को उपरोक्त व्यय हेतु आवश्यक सुविधाएं/बजट उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। इस संदर्भ में उचित होगा कि वार्षिक बजट की मांग के समय सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रेषित किये जाने हेतु पर्याप्त डाक टिकट और छायाप्रति हेतु फोटोकॉपियर या छायाप्रति हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उक्त कार्य हेतु मांगी गयी धनराशि के औचित्य का भी पृथक से स्पष्ट उल्लेख किया जाए और राजस्व उप निरीक्षकों और राजस्व निरीक्षकों के स्तर पर अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों हेतु आवश्यक सुविधा/बजट सुनिश्चित किया जाए।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी रूप से कियान्वयन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो उसके निराकरण का दायित्व प्रत्येक लोक प्राधिकारी का है। अतः कृपया उपरोक्त संदर्भ में अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया

Digitally signed by
RADHA RATURI
Date: 25-09-2025
15:53:17

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सूचना आयुक्त